राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141–2227884

ई–मेल : rajpr.sep@rajasthan.gov.in, rajpr.xentc@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (797) पंरावि / पीसी / वि.मा.प्लान / 2019 / 2895 जयपुर, दिनांक :27.11.2019

1. संभागीय आयुक्त, समस्त।
2. जिला कलक्टर, समस्त।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद – समस्त।

विषय :– विलेज मास्टर प्लान बनाने हेतु भूमि का चिन्हिकरण की कार्यवाही की प्रगति।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 2597 दि. 14.10.2019, 2677 दि. 25.10.2019, 2735 दि. 04.11.2019, दिनांक 13.11.2019 तथा राजस्व विभाग का पत्रांक प. 9 (20) राज–1 / 2019 दिनांक 18.09.2019, पत्रांक 2794 दि.13.11.2019 (सभी पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है)

महोदय,

बजट घोषणा वर्ष 2019–20 की पालना में सुनियोजित विकास हेतु सभी गांवो के विलेज मास्टर प्लान बनाने हेतु भूमि का चिन्हिकरण पटवारियों के सहयोग से करने बाबत उपरोक्त प्रासंगिक पत्र जारी किये गये है । यह सभी पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

विभागीय पत्र दिनांक 14.10.2019 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार इस गतिविधि की सूचनाए दर्ज करने हेतु ई–पंचायत में मॉड्यूल उपलब्ध है, जिसमें अधिकांश सूचनाए ग्रा0प0 स्तर से व प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचनाए पंचायत समिति स्तर से दर्ज की जानी है। कुछ सूचनाए एवं गणनाए कम्प्यूटर खुद प्रदर्शित कर लेगा।

ग्रा0प0 स्तर से सूचनाए दर्ज करने का पाथ निम्नानुसार उपलब्ध हैः–

1. ग्राम पंचायत यूजर को ई–पंचायत के लिए पर लॉग इन करे।
2. कई अन्य आप्शन के साथ–साथ विलेज मास्टर प्लान का आप्शन भी नजर में आयेगा। इसका चयन करे।
3. विभागीय पत्र दिनांक 14.10.2019 के साथ प्रेषित परि. 1 के अनुसार क्रमशः II से VI तक के सभी बिन्दुओं में सूचनाओं का इन्द्राज करे।

बिन्दु संख्या– VII – इस फॉरमेट की सुचना स्वतः ही प्रदर्शित होगी।

प्रपत्र के बिन्दुवार सूचनायें दर्ज करने की प्रकिया निम्नानुसार होगीः–

बिन्दु संख्या– I व II ग्राम पंचायत द्वारा इन्द्राज करने पर केवल राजस्व ग्राम का नाम ही चयन करना है। 2011 की जनसंख्या एवं 2012 की पशुधन संख्या दर्ज करने पर दोनों की 2050 की संभावित संख्या अपने आप ही प्रदर्शित हो जाएगी।

बिन्दु संख्या– III दूरी किलोमीटर मे ही दर्ज करे। बिन्दु संख्या– IV, V, VI, VIII, – दर्ज किया जाने वाली सूचना अंको में एवं क्षेत्रफल हेक्टेयर में ही दर्ज करे।

सभी फॉरमेट का इन्द्राज एक साथ ही सेव किया जाना है उपरोक्त की गई कार्यवाही ध्यानपूर्वक दर्ज करे।

Scanned by CamScanner

इस पाथ के अनुसार डाटा इंद्राज करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी की SSOID से की जा सकेगी।

आपसे पुनः अनुरोध है कि:–

1. राज्य के प्रत्येक ग्राम का मास्टर प्लान बनाने हेतु पटवारियों के सहयोग से भूमि के चिन्हिकरण की कार्यवाही 30.12.2019 तक पूर्ण कराने का श्रम करावें। (पत्र दिनांक 04.11.19)
2. इस गतिविधि की सूचना एवं प्रगति ई–पंचायत में दर्ज करने का श्रम करें
3. भविष्य में प्रगति की समीक्षा ई–पंचायत मॉड्यूल में दर्ज डाटा के आधार पर ही की जायेगी। अतः जैसे ही किसी ग्राम पंचायत के मास्टर प्लान हेतु भूमि चिह्नीकरण की कार्यवाही पूर्ण होती है, ई–पंचायत मॉड्यूल में डाटा दर्ज किया जाये।
4. ई–पंचायत मॉड्यूल में सूचनायें दर्ज करने की स्थिति में कोई समस्या आने पर तत्काल जिला परिषद में कार्यरत APM/DPM से या मुख्यालय पर SPMU से संपर्क कर सकते हैं।

भवदीय

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि :– **निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, जिला समस्त।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ''विलेज मास्टर प्लान'' शीर्षक में अपलोड करने हेतु।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय।
9. डी.पी.एम., जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता

D:\D.C. Sharma May 2013\VMP\VMP 2019-20 17.10.2019 Short.doc

Scanned by CamScanner